122202312800
18/01/2023

214
29/03/2023

परिशिस्ट "अ"
आदर्श नियमावली

1. **संस्था का नाम** – कांस्यकार एजुकेशन सोसायटी,
2. **संस्था का कार्यालय**– मकान क्रमांक 115, वार्ड क्रमांक–11, रेहर मोड़ के पास ग्राम–कुरूवां, पोस्ट–डेडरी, तहसील–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र**– **जिला सूरजपुर** होगा ।
4. **संस्था का उद्धेश्य** –
   1. उच्च श्रेणी का शिक्षा प्रदान करना।
   2. आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
   3. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु वृझारोपण का कार्य एव अन्य उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना।
   4. कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करना।
   5. रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
   6. स्व-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेदिक औषधि उपयोग के लिए जनजागृति फैलाना।
   7. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना।
   8. भारतीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षित करना एवं इसके लिए यथोचित कार्य करना।

समितियों के सहायक पंजीयक सरगुजा संभाग

सत्य प्रतिलिपी

5. **सदस्यता** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे :–
   (अ) **<u>संरक्षण सदस्य</u>** :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 3,500/– या अधिक देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।
   (ब) **<u>आजीवन सदस्य</u>** :– जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 2,000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 1500/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।
   (स) **<u>साधारण सदस्य</u>** :– जो व्यक्ति 100/– रू. माह रूपये 1200/– रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप मे देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष　　सचिव　　कोषाध्यक्ष

(द) **सम्मानीय सदस्य** :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) भारतीय नागरिक हो ।
(2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(3) समिति के उद्देश्यों एंव नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

सत्य प्रतिलिपी

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी –

(1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
(2) समिति विरोधी कार्य करने एंव नियमावली की अवहेलना करने पर ।
(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर ।
(4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
(5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

9. **सदस्यता पंजी** :–

संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे –

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

10. **(अ)** **साधारण सभा** :– साधारण सभा के नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह **नवंबर** तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिंनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) **<u>प्रबंधकारिणी सभा</u>** :– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

<u>विशेष</u> :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

सत्य प्रतिलिपी

11. **<u>साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य</u>** :–
   - (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
   - (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
   - (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
   - (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
   - (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
   - (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **<u>प्रबन्धकारिणी का गठन</u>** :– ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष, (2)उपाध्यक्ष (3) सचिव, (4) को ाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य – 2

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

13. **<u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u>** :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

सत्य प्रतिलिपी

14. **<u>प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य</u>** :–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एंव उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. **<u>अध्यक्ष के अधिकार</u>** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **<u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u>** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार**:–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 10,000/– रूपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्य य करना ।

सत्य प्रतिलिपी

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 10,000/– रू. रहेगे ।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन** :–संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान मे संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. सम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट– ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय– समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी ।

सत्य प्रतिलिपी

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:– संस्था की पंजीय क नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एंव संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

समितियों के सहायक पंजीयक सरगुजा संभाग

27. **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

प्रमाणित प्रति
शुल्क..280...चालान क्र.66.11032300
दिनांक 24/03/23 द्वारा किया गया है यह 1857
पंजीयन क्र. 1222023 12800 दिनांक 18/01/2023
द्वारा पंजीकृत क्र.संस्था की मूलदस्तावेज
की प्रमाणित प्रति के जारी होने का

27.03.2023
(कुलदीप)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें
अम्बिकापुर,सरगुजा संभाग

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष